

काम  
शारणी देवी  
00/11  
अवमानना

फर्द अहकाम

बनाम V/S

शारणी देवी



14/2014 प्राचीन फर्द अवमानना

वृत्त रूप से

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

उक्त साक्ष्य  
व्याज कर्त  
दिनांक 21/1/17  
अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)  
साक्ष्य सापल हेतु अवसर पाया  
गया। न्यायहित में साक्ष्य सापल  
को अवसर दिया जाकर दिनांक  
03-4-18 को पेश हो।

13-03-18 वकील उग्रपथक उपस्थित।  
साक्ष्य सापल में आज कोई उपस्थित  
नहीं हुआ है। वकील उग्रपथक  
साक्ष्य सापल हेतु अवसर पाया  
गया। न्यायहित में साक्ष्य सापल  
को अवसर दिया जाकर दिनांक  
03-4-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

स्तुतकार  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)  
न्यायिक  
गया गत  
में दिनांक

03-4-18 वकील उग्रपथक उपस्थित।  
साक्ष्य सापल को अवसर पाया। न्यायहित में अवसर  
दिया जाकर दिनांक 24-4-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)  
दिनांक

24-4-18 वकील उग्रपथक उपस्थित।  
आदेश की पालना में दिनांक  
09-5-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

दिनांक  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)  
दिनांक  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

09/05/18  
पत्रावली राजस्व लोक अदालत में  
वास्तु खुजवाई जमा हुई। पत्रावली,  
पत्रावली पर उपलब्ध डब्लोवेजो विधि  
के सुसंगत प्रावधानों का अविरोध  
किया गया। प्रकरण में करीब 6 वर्ष  
के साक्ष्य सापल में निपट-पल रही  
स्वयं सापल द्वारा अपना मुख्य परीक्षण  
आपक पत्र दिनांक 04-09-12 को पेश है,



11  
A

11

लय

मे

भविष्य फर्द अहकाम

बनाम

सापल/देव

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या

14/2014

प्राप्त 8/9/2014

क्रम संख्या  
दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से



परन्तु बाजार अकसर डिपे जाने बाद भी अपने बपान को बंधु नहीं करवाये गये हैं। सापल सापल फंड डिपे जाने के आदेश दिए जाते हैं।

अब भी कि सभाकर्मित विजय पत्र द्वारा और सापल ने अपने हिले के कठ कन्या किये हैं, जिसे सापल को हड आदिदार प्रभावित नहीं होना ही साथ ही सभाकर्मित विजय पत्र उपपंजीपद विराटनगर में पंजीकृत नहीं होकर सिविलेय रजिस्ट्री के मा के वदत उपपंजीपद, जयपुर अहकाम में पंजीकृत हुआ है, जिसे न्यायालय आज्ञा में विचारधीन काट या स्थगित आदेश की जानकारी नहीं होगी प्रतीत होगा है। अतः पत्रावली इस आदेश के निस्तारित की जाती है कि महसूलदा विराटनगर को महवीर गारी धरकर कोषी कर्मचारी की विप्रेट ली जाके तथा और सापल द्वारा कोषप में न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाती है, तो सापल पुनः प्राकृत पत्र पेश करे वर्तमान स्थिति में सापल कत्राप में पत्रावली खारिज की जाती है।

4/11/18

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

प्राप्त 8/9/2014  
क्र. 18  
2014

अन्य  
भीतर  
जि  
सा  
जि  
श्रीमा  
1-